<u>**-:प्रेस नोट:-**</u>

दिनांक- 25.03.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अवैध शराब का निष्कर्षण व बिक्री करने वाले अभियुक्त को थाना बदौसा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से 75 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब महुआ, करीब 02 कुन्तल लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद ।**

विवरण-पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा लोकसभा चुनाव व त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र व क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री गवेन्द्र पाल गौतम के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 25.03.2024 को थाना बदौसा पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा व्यवस्था, गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबीर की सूचना पर 01 अभियुक्त को थाना बदौसा क्षेत्र के ग्राम दुबरिया के केवटन पुरवा से अवैध शराब का निष्कर्षण करते समय गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त के कब्जे से अवैध कच्ची देशी शराब महुआ, भारी मात्रा में लहन व शराब बनाने के उपकरण आदि बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना बदौसा पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

<u>**बरामदगी-**</u>

- 05 डिब्बे में 75 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ
- 02 कुन्तल लहन(लगभग) मौके पर नष्ट किया गया ।
- 02 अदद् पतीला
- शराब बनाने के उपकरण

<u>**गिरफ्तार अभियुक्त-**</u>

- विनोद निषाद पुत्र सुग्गी लाल निवासी केवटन पुरवा अंश दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 37/24 धारा 60(2) आब0अधि0 थाना बदौसा जनपद बांदा

<u>**गिरफ्तार करने वाली टीम**</u>

1. प्र0नि0 बदौसा श्रीमती सविता श्रीवास्तव
2. उ0नि0 श्री रामनारायण सरोज
3. कां0 इन्द्रपाल सिंह
4. कां0 प्रदीप कुमार
5. कां0 शेर सिंह
6. कां0 उपेन्द्र कुमार